न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS

पत्रावली संख्या : **131/16 (प्रा0पत्र)**

प्रकरण दर्ज दिनांक : 10.10.2016 **निर्णय दिनांक : 26.08.2019**

अनवान्

1. श्रीमती नानुराम पिता धन्नाजी मीणा निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. नगरपालिका फतहनगर सनवाड जरिए अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका फतहनगर सनवाड तह. मावली।
2. श्री देवा पिता हीरा गमेती निवासी सनवाड तह. मावली।
3. श्री चन्द्रिया पिता हीरा गमेती निवासी सनवाड तह. मावली।
4. श्री मदन पिता नारायण गमेती निवासी सनवाड तह. मावली।
5. श्री महेन्द्र पिता मांगीलाल गमेती निवासी सनवाड तह. मावली।
6. श्री रूघनाथ पिता धन्ना मीणा निवासी फतहनगर तह. मावली।
7. श्री भेरूलाल पिता धन्ना मीणा निवासी फतहनगर तह. मावली।
8. श्री भगवान पिता धन्ना मीणा निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 26.08.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 2744 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा मुझ प्रार्थी नानुराम एवं मेरे भाई रूघनाथ, भेरूलाल, भगवान के नाम पर खातेदारी की हैसियत से रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित हैं। इस तरह उक्त आराजी नम्बर 2744 का मैं प्रार्थी अपने भाइयों के साथ खातेदार काश्तकार दर्ज हुं तथा इस पर मेरा आधिपत्य चला आ रहा हैं। रेकार्ड में रूघनाथ, भेरूलाल व भगवानलाल का भी नाम है लेकिन वो प्रार्थी नहीं बन रहे है इसलिए उनको परफोर्मा डिफेण्डेन्ट बनाया गया हैं। विपक्षीगण का इस आराजी में किसी प्रकार का कोई स्वत्व व अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षी नम्बर 1, नम्बर 2 से 5 से मिलकर जबरदस्ती मेरी इस आराजी में रास्ता निकालने पर तुले हुए है तथा मौके पर मारोमार कारतामिर कर रहे हैं। मुझ प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं मान रहे है और कह रहे है कि तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो हम तो रास्ता निकालेगे।
2. विपक्षी सं. 2 से 5 का रास्ता आराजी नम्बर 2060 में करीबन 11 बिस्वा रास्ता रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज है और उसी रास्ते से होकर के विपक्षी सं. 2 से 5 अपने घरों में जाते हैं। मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 2744 में उनका कोई रास्ता नहीं हैं फिर भी ये लोग जबरन

मेरी आराजी में प्रवेश कर अपने आने जाने की कोशिश करने में लगे हुए है जब तक विपक्षी सं. 1 नगरपालिका फतहनगर सनवाड मेरी आराजी को अधिगृहित नहीं कर ले तब तक उनको मेरी जमीन में घुसने का व रास्ता निकालने का कोई अधिकार नहीं है। रास्ता निकालने से मुझ प्रार्थी को भारी नुकसान होगा क्योंकि उपजाउ जमीन नष्ट हो जावेगी और मे प्रार्थी अपनी आराजी में फसल बोने से वंचित हो जाउगा ऐसी दशा में मैं प्रार्थी विपक्षी सं. 1 से 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हूं।

3. वर्तमान सरकार ने भी काश्तकारो के हितों की दृष्टि से यह प्रावधान किया हैं कि किसी भी खातेदार काश्तकार की जमीन को बिना अधिगृहित किए तथा बिना मुआवजा दिये उसमें कोई भी काम नहीं कर सकेगा। विपक्षी सं. 2 से 5 का रास्ता आलरेडी रेवेन्यु रेकार्ड में मौजूद है फिर भी ये लोग मुझ प्रार्थी को जबरदस्ती परेशान करने एवं नुकसान पहुंचाने की गर्ज से मेरी खातेदारी में कोई रास्ता नहीं होते हुए जबरदस्ती मेरी आराजी में प्रवेश करने पर आमादा हो रहे हैं इसलिए उनको रोकना आवश्यक हैं।
4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है। रेवेन्यु रेकार्ड में मैं खातेदार हुं तथा विपक्षी सं. 1 से 5 का कोई स्वत्व नहीं होते हुए जबरदस्ती रास्ता निकालने पर तुले हुए हैं। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझे भारी नुकसान होगा तथा विपक्षी सं. 1 से 5 को कोई नुकसान नहीं हैं।
5. बिनाय मुखसतमत प्रार्थनापत्र दिनांक 15.09.2016 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी के मना करने पर भी विपक्षी सं. 1 से 5 नहीं माने और ऐलानिया धमकी दी कि हम तो रास्ता निकालेंगे तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करने की नोबत पैदा हुई।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सनवाड की आराजी नम्बर 2744 में विपक्षी सं. 1 से 5 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मेरी उक्त आराजी में किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकाले और न आवे जावे तथा शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विपक्षी सं. 2 से 5 द्वारा पर्याप्त समय दिया जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी सं. 6 से 8 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रॉप की गई। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.टि.एक्ट. में अवश्य प्रस्तुत किया है किन्तु उक्त गलत एवं मिथ्या आधारों पर आधारित होने से अवश्य खारिज होगा। उक्त स्थान पर सदीक काल से आम रास्ता बना हुआ है तथा भील बस्ती के लोग अपने घरों में आने जाने के लिए उक्त रास्ते का उपयोग अपने घरों में आने जाने के लिए उक्त रास्ते का उपयोग अपने घरों में आने जाने के लिए सदीक काल से कर रहे हैं। सदीक काल से जो आम रास्ता है तथा सदीक काल से आम रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग हो रहा है उसी स्थान पर सडक बनाई गई है। वादी के खेत की बाड के बाद सडक है तथा पूर्व की सडक पर ही सडक बनाई है जो कि कार्यपूर्ण होकर आम रास्ते के रूप में पूर्व की तरह ही उपयोग उपभोग आम जन कर रहे हैं। प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है वादी आम रास्ते को अवरोधित करना चाहता है जिससे आमजन को काफी परेशानी होगी। अतः आप श्रीमान् से अनुरोध है कि न.पा.फ.स. द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज करने की कृपा करें।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों को अंकित कर पेश किया जाना बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 1 से 5 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 से 5 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–* चूंकि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 से 5 खातेदार काश्तकार नहीं होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करते हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं। प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। विपक्षी सं. 1 से 5 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी कर रहे हैं। प्रकरण में प्रार्थी खातेदार होने से यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो इनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी सं. 1 से 5 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होकर प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी कर रहे हैं। विपक्षी सं. 1, नम्बर 2 से 5 के साथ मिलकर प्रार्थी की भूमि में बिना अधिकार के रास्ता कायम करने पर तुले हुए हैं। जिस कारण प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5 अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए प्रार्थी को नाजायज परेशान कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में वर्तमान में खातेदार प्रार्थी है एवं प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी। यदि भूमि पर विपक्षी सं. 1 द्वारा सडक या रास्ता कायम कर दिया जाता है तो प्रार्थी के

खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने जवाब में उक्त भूमि में आम रास्ता होने की बात कही हैं जबकि वादग्रस्त भूमि के दस्तावेज जमाबन्दी नकल में किसी प्रकार के रास्तें, सडक व रोड का अंकन किया हुआ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रार्थी खातेदार के अधिकारों को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षी सं. 1 नगरपालिका को अपने क्षेत्र के विकास के लिए रोका जाना भी निगम के विकास कार्य को रोककर क्षेत्र के आम जनता के साथ भी न्याय नहीं होगा। परन्तु प्रार्थी खातेदार है प्रार्थी को नियमानुसार बिना कोई प्रतिफल अदा किये सडक निर्माण किया जाता है एवं प्रार्थी के हक अधिकारों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है तो प्रार्थी के साथ पूर्ण न्याय नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 2744 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी प्रकार का सडक निर्माण कार्य नहीं करें। विपक्षी सं. 1 से 5 मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)मावली